महत्वपूर्ण एवं खास

प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु पर मृतक के वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । अनुविभाग सारंगढ़ अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सारंगढ़ के ग्राम सहसपाली निवासी कु.सावन की 7 जनवरी 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके भाई त्रिलोचन को 4 लाख रुपये, तहसील बरमकेला के ग्राम-भीखमपुरा निवासी मायाराम सिदार की 11 सितम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी संतराबाई को 4 लाख रुपये, तहसील बरमकेला के ग्राम-दमदमा निवासी पुस्तम पटेल की 16 सितम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता रंजीत पटेल को 4 लाख रुपये, तहसील बरमकेला के ग्राम-कण्डोला निवासी अनादि सिदार की 14 जुलाई 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी मांगमति को 4 लाख रुपये तथा तहसील सारंगढ़ के ग्राम बुंदेली निवासी डमरूधर यादव की 6 अगस्त 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता-गुरूवारी को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन दो चरणों में

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में जिले में एक माह की अवधि में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा हैं। कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में (जनसंख्या दम्पत्ति संपर्क पखवाड़ा) 27 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक रहेगा। जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन के महत्व के बारें में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु आयोजन किया जावेगा। द्वितीय चरणः-(जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा) 11 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवा प्रावधानों पर केंद्रित रहेगा जो कि कोविड-19 संबंधित समस्त सावधानियों एवं सलाह को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त रूप से पालन करना जरूरी है। 11 जुलाई से दो सप्ताह तक अस्थायी एवं स्थायी साधन आईयूसीडी, निवेशन, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, एम.पी.ए ट्यूबकटोमी, वेसेक्टोमी आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया हैं।

नक्सली कमांडर हरीभूषण की पत्नी शारदा की मौत कोरोना से हुई

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट सचिव नक्सली कमांडर हरीभूषण की पत्नी शारदा की मौत 24 जून को कोरोना से होने की पुष्टि करते हुए दंतेवाड़ा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने करते हुए बताया कि अब नक्सलियों के द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक करने का इंतजार है। उन्होने बताया कि इसके साथ ही 04 नक्सली कमांडर की स्थिति भी बेहद खराब होने की सूचना है। दंतेवाड़ा एसपी डॉ. पल्लव ने बताया कि मृतक 40 लाख के ईनामी नक्सली हरीभूषण कोरोना से संक्रमित था, जिसके संपर्क में आने से उसकी पत्नि की भी मौत हुई है। उन्होने बताया कि नक्सलियों ने कोरोना के दौरान लापरवाही बरतते हुए सभा-रैली और बैठकों का आयोजन किया जिसके कारण 200 बड़े नक्सली लीडरों के मध्य कोरोना विष्फोट हुआ। इससे सबसे ज्यादा उम्रदराज नक्सली लीडरों की मौत की खबर ईलाज नहीं मिलने से अब आने लगी है। समय के साथ और भी कोरोना संक्रमित नक्सलियों के मौत की जानकारी मिलेगी।

महा टीकाकरण अभियान में जिले के 1 लाख 25 हजार 183 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाकर रचा इतिहास

» कलेक्टर भीम सिंह शाम तक लोगों को जागरूक करने डटे रहे सुदूरअंचल के गांव में

» मतदान करने जैसा रहा उत्साह, लोगों ने घंटों लाइन में लगकर लगवाया टीका

रायगढ़। शनिवार का दिन रायगढ़ जिले के लिए इतिहास में दर्ज हो जाने का दिन रहा। महा टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 01 लाख 25 हजार 183 से ज्यादा लोगों ने एक ही दिन में टीका लगवाकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कोरोना को मात देने अपनी अलग पहचान बनाई है।

रायगढ़ जिले में सुबह 7 बजे से ही हलचल शुरू हो गई थी। 18 वर्ष की आयु कर चुके युवा, महिलाएं अपने गली-मोहल्लों की टोलियों के साथ हाथ में आधार कार्ड या राशन कार्ड लेकर घरों से निकल रहे थे। सभी के चेहरे में मतदान के दिन वोट डालने जैसा एक उत्साह था, यह उत्साह देखते ही बन रही थी, उत्साह मतदान का नहीं बल्कि अपने समाज को कोरोना मुक्त करने टीका लगवाने का उत्साह था। कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में जिले में एक साथ शनिवार को महा टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के लिए 75 हजार लोगों को एक ही दिन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों में कोरोना को मात देने का जज्बा इतना था कि दोपहर तक ही कोरोना टीका का प्रथम डोज लेने वालों की संख्या 75 हजार के पार हो चुकी थी और यह शाम होते-होते सवा लाख से ज्यादा हो गई। जिले के लोगों ने कोरोना सुरक्षा कवच महा टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आलम यह था कि जिले के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर में मतदान की तरह घंटों लाइन में लगकर कोरोना का टीका लगवाया। इधर सुबह से ही जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, स्वास्थ्य अमला, राजस्व अमला के अधिकारी-कर्मचारी लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे थे। कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में महा टीकाकरण अभियान में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की मेहनत का ही परिणाम रहा कि रायगढ़ शहर ने एक ही दिन में एक लाख से ज्यादा कोरोना टीकाकरण करने का रिकार्ड बनाया। महा टीकाकरण इस अभियान में जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने पूरे दिन सारे विभागों के साथ समन्वय किया।

❒ **कलेक्टर सिंह ने घर-घर जाकर लोगों को किया जागरूक-** कलेक्टर सिंह ने ग्राम पचपेड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि यहां कोरोना टीकाकरण के लिए फैली भ्रांतियों के कारण ग्रामवासी कोरोना टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर सिंह ने ग्राम के लोगों को जागरूक करते हुए वहां खड़े रहकर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कराया। इसके बाद ग्राम वासियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीका लगवाया। इसी तरह सारंगढ़ ब्लाक के ग्राम जशपुर में भी टीकाकरण के भ्रांति को लेकर ग्रामवासियों द्वारा टीका नहीं लगवाने की बात सामने आई। इस पर कलेक्टर सिंह ने गांव के घर-घर में जाकर लोगों से बातचीत कर टीकाकरण से अपने व अपने परिवार और समाज को बचाने की बात कहते हुए लोगों को टीका लगाने की अपील की। इसके बाद गांव के 18 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश ग्रामीणों ने कोरोना का टीका लगवाया।

❒ **सभी के सहयोग से लक्ष्य से ज्यादा हुआ टीकाकरण-कलेक्टर सिंह-** कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिये सभी लोगों का जल्द से जल्द कोरोना टीकाकरण कराने के निर्देश दिये थे। निर्देश के तहत महा टीकाकरण अभियान के लिये एक ही दिन 75 हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के सतत् समन्वय और सहयोग रहा। इसी तरह जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने टीकाकरण अभियान में सकारात्मक सहयोग दिया। जिससे ही एक ही दिन में लक्ष्य से ज्यादा सवा लाख टीकाकरण जिले में हुआ। इसके लिये कलेक्टर सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

❒ **शहर के वैक्सीनेशन सेंटर का कलेक्टर सिंह ने किया निरीक्षण-** कलेक्टर सिंह ने सबसे पहले शहर के सत्तीगुड़ी चौक स्थित वैक्सीनेशन सेंटर, म्युनिसिपल स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे बंगलापारा वैक्सीनेशन सेंटर के साथ गढ़उमरिया के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सेंटरों में पहुंचकर वैक्सीनेशन संख्या की जानकारी ली और लोगों को जागरूक कर संख्या बढ़ाने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों में लाइन लगकर लोगों द्वारा वैक्सीन लगवाने के उत्साह की प्रशंसा की।

❒ **निगम क्षेत्र में लगा 11 हजार टीका-** निगम क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 62 केन्द्र बनाये गये थे और अलग-अलग क्षेत्रों के लिये 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी सहयोग लिया गया। इसमें देर शाम तक नगर निगम क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटरों में 11 हजार से ज्यादा टीका लग चुका था। इसी तरह मेडिकल मोबाइल यूनिट से 900 से ज्यादा टीका लगाया गया।

❒ **ब्लाकवार यह रहा डाटा-** जिले के सभी टीकाकरण सेंटरों से दोपहर एक बजे से करीब 30 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की सूचना आनी शुरू हो गई थी। शाम 5 बजे एक लाख का आंकड़ा पार हो गया था। देर शाम तक यह सवा लाख पहुंच गया था। पूरे जिले में 01 लाख 25 हजार 183 टीके लगाये जा चुके है। इसमें बरमकेला में 15266, सारंगढ़ में 12148, पुसौर में 14344, लोईंग में 16913, खरसिया में 13664, तमनार में 11626, घरघोड़ा में 8217, लैलूंगा में 8373, धरमजयगढ़ में 13476, रायगढ़ शहरी में 10656 टीके लगाये गये।

❒ **संसदीय सचिव, विधायक व जनप्रतिनिधियों ने किया अभिवादन-** कलेक्टर भीम सिंह के सारंगढ़ क्षेत्र के निरीक्षण पर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, अरूण मालाकार, गनपत जांगड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने महा टीकाकरण अभियान में सवा लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन टीका लगाने की उपलब्धि की सराहना करते हुये कलेक्टर भीम सिंह का अभिवादन किया।

ब्लड बैंक प्रभारी, ब्लड दलाल के साथ मिलकर ब्लड की अवैध बिक्री करते पकड़े गए

» दोनों आरोपी चोरी और महामारी एक्ट के तहत भेजे गये रिमांड पर

» कोतवाली पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका पर बारीकी से कर रही जांच

रायगढ़। सिटी कोतवाली रायगढ़ अन्तर्गत संजीवनी अस्पताल के पास दिनांक 25/06/2021 को समाज का शर्मसार करने वाली घटना समाने आई है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर को कल दोपहर मुखबिर से रक्त के जरूरतमंदों को निर्धारित शुल्क से करीब 3500 - 4000 रुपए अधिक रकम लेकर अवैध रूप से ब्लड बेचने की सूचना मिली। कोतवाली टीआई मनीष नागर अपने मुखबिर को ही ग्राहक बनाकर आरोपी से ब्लड का सौदा करने भेजे थे, इस दौरान आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है।

जानकारी के अनुसार ब्लड बैग के अवैध बिक्री की सूचना पर कोतवाली प्रभारी टीआई नागर, उपनिरीक्षक नंदलाल पैंकरा हमराह आरक्षक हेमकुमार सोन, मनोज पटनायक के साथ संजीवनी अस्पताल पहुंचे, जहां संदेही मोहम्मद इम्तयाज खान पिता नजीर खान उम्र 30 वर्ष निवासी ढिमरापुर के कब्जे से अवैध रूप से मानव रक्त (ब्लड बैग) बरामद हुआ। पूछताछ में संदेही इम्तयाज खान संजीवनी अस्पताल के रायगढ़ ब्लड बैंक से 3500/- रूपये में खरदीकर लाया हूँ, बताया। कोतवाली पुलिस की टीम जब सिलसिलेवार संदेही और गवाहों से पूछताछ की तब संजीवनी अस्पताल के रायगढ़ ब्लड बैंक संचालक/पैथोलाजी प्रभारी प्रदीप पाण्डेय की संलिप्तता पाई गई, जिसके साथ आरोपी इम्तयाज खान ब्लड बैंक से ब्लड बैग की चोरी कर मार्केट में जरूरतमंदो को वास्तविक रेट से अधिक 3,500 से 4,000 रुपए में बिक्री करते थे। आज कोतवाली पुलिस आरोपी 1- मोहम्मद इम्तयाज खान पिता नजीर खान उम्र 30 वर्ष निवासी ढ़िमरापुर 2- रायगढ ब्लड बैंक के प्रभारी/संचालक प्रदीप पाण्डेय के विरूद्ध ब्लड बैग जप्ती आदि की कार्रवाई इस्तगासा धारा 41(1-4)जाफौ0/379 भादवि के अन्तर्गत कर आरोपियों के खिलाफ असल अप.क्र. 829/2021 धारा 269, 270, 380 ,411,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

कोतवाली पुलिस संजीवनी अस्पताल प्रबंधक को नोटिस दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि ब्लड बैंक से ब्लड बैग का वास्तविक मूल्य क्या है? जप्त ब्लड मानव ब्लड है एवं किस उपभोक्ता के नाम से किस मरीज के लिये प्रदाय किया गया है? कोतवाली पुलिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायगढ़, जिंदल रोड सीएमओ कार्यालय को भी प्रतिवेदन भेजा गया कि प्राप्त ब्लड के संबध में कार्यवाही करें। कोतवाली पुलिस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर रही है, जीवनरक्षक रक्त की अवैध ब्रिकी से जुड़े जितने भी लोगों की संलिप्तता पाई जावेगी, उन पर विधि अनुरूप कार्रवाई होगी। कोतवाली पुलिस मामले के दोनों आरोपी 1- मोहम्मद इमतयाज खान पिता नजीर खान उम्र 30 वर्ष निवासी ढिमरापुर 2- प्रदीप पाण्डेय पिता अरविंद पाण्डेय 36 साल आदर्शनगर चक्रधरनगर को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

राशन वितरण में अनियमितता राशन दुकान निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है।

जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 69 माधवराव सप्रे वार्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान रिद्धि सिद्धि प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की जांच की गई। उपभोक्ताओं के राशनकार्ड वितरण की अनियमितता की शिकायत की जांच अलग से की जा रही है जिसमे अनियमितता पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जांच प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रमांक 69 रिद्धि-सिद्धि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डर माधवराव सप्रे वार्ड रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा 11 (1), (2), (3), (6) एवं 15 का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार उल्लंघन पाए जाने पर दुकान आई.डी. क्रमांक 441001180 को निलंबित कर आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार दुकान आई.डी. कमांक 441001035 में संलग्न किया गया है। जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार रायपुर द्वारा वार्ड क्रमांक 69 में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलकर हितग्राहियों को नियमानुसार राशन सामग्री का समुचित रूप से वितरण किया जावेगा।

पशुक्रूरता के आरोपी वाहन चालक व वाहन मालिक रांची से गिरफ्तार

» लाखा पुल के पास ट्रक के पलटने से हताहत हुए थे कृषिधन मवेशी, ड्राइवर ट्रक छोड़कर था फरार

रायगढ़। थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ अन्तर्गत लाखा पुल के पास ट्रक के पलटने से ट्रक में डाला में रखे हुए दर्जन से अधिक कृषिधन मवेशी हताहत हुए थे तथा कुछ घायल थे।

घटना के संबंध में थाना कोतवाली में घटनास्थल पर ट्रक क्रमांक जेएच-01- ससीजे-7785 को छोड़कर फरार हुये ड्रायवर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 805/21 धारा 279, 429 एवं धारा 6 छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल वाहन स्वामी का आरटीओ से पता लगाकर वाहन मालिक एवं ड्रायवर की गिरफ्तार का निर्देश दिया गया। निर्देश पर कोतवाली टीआई नागर द्वारा आरटीओ से वाहन स्वामी का पता लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाने से उप निरीक्षक बीएस डहरिया के हमराह आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ एवं आरक्षक अजय साय को झारखंड रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस की टीम वाहन स्वामी सरवर हुसैन एवं चालक शेख हरीश तक पहुंची। आरोपी शेख हरीश घायल था, जो कृषिधन मवेशियों को ले जा रही ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से आई चोट के मालूम हो रहे थे। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों छत्तीसगढ़ से रांची, बिहार, झारखंड के बूचड़खाना में कृषिधन मवेशियों को लेकर जाना स्वीकार किए हैं। आरोपी 1- शेख हरीश पिता शेख सेराज खान उम्र 38 वर्ष निवासी चचंकापी थाना बेड़ो जिला रांची (झारखंड) 2- वाहन मालिक सरवर हुसैन पिता सहायत अली उम्र 45 वर्ष निवासी करगी पलमा थाना ईटकी दिमला रांची (झारखंड) को पशुक्रूरता के अपराध में गिरफ्तार कर 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

छोटा हाथी वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेज रिमांड पर

» चोरी गई वाहन पहले ही लावारिश अवस्था में बरामद कर चुकी है जूटमिल पुलिस, घटना बाद से फरार था आरोपी

रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल द्वारा आज दिनांक 26/06/2021 के दोपहर छोटा हाथी वाहन चोरी के आरोपी ग्राम कुसमुरा निवासी रामनारायण चौहान को विश्वासगढ़ चर्च के पास से गिरफ्तार किया गया है। रामनारायण चौहान पर बालाजी ट्रेडिग कम्पनी की छोटा हाथी वाहन की चोरी का अपराध इस साल जनवरी माह में दर्ज किया गया था, घटना के बाद से रामनारायण फरार था।

जानकारी के अनुसार लोचननगर, चक्रधरनगर में रहने वाले नीरज गुप्ता दिनांक 09/01/2021 को पुलिस चौकी जूटमिल में उसकी छोटा हाथी वाहन क्रमाक सीजी 13 एल 7208 को सहदेवपाली में स्थित बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम से अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। चोरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अप.क्र. 29/2021 धारा 379 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। टीआई जूटमिल अमित शुक्ला के निर्देशन पर सउनि उमाशंकर विश्वाल द्वारा मामले की विवेचना की जा रही थी। घटना के एक सप्ताह बाद चोरी गई, वाहन ग्राम बोतल्दा में एक्सीडेंटल लावरिश अवस्था में मिली, जांच में जुटी पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि वाहन स्वामी/रिपोर्टकर्ता नीरज गुप्ता का वाहन चालक रामनारायण चौहान ही वाहन को चोरी कर भागते समय एक्सीडेंट कर वाहन को छोड़ गया है। जूटमिल पुलिस वाहन को जप्त किया गया,जिसे वाहन स्वामी द्वारा कोर्ट से सुपुर्दनामा पर प्राप्त किया है। रिपोर्टकर्ता द्वारा भी वाहन चालक रामनारायण चौहान पर वाहन चोरी का शंका जाहिर किया। रामनारायण चौहान अपने सकुनत से फरार था, जिसे आज मुखबिर सूचना पर विश्वासगढ़ चर्च के पास से पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपी रामनारायन चौहान पिता मेहर चौहान उम्र 26 वर्ष ग्राम कुसमुरा, थाना कोतरारोड़ द्वारा अपने मालिक नीरज गुप्ता से काम तथा वेतन को लेकर असंतुष्ठ था और उसी वजह से वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। जूटमिल पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480